

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, नवादा/पूर्वी चंपारण(मोतिहारी)/जमुई/रोहतास(सासाराम)/बांका।
पटना, दिनांक- 28-8-18

विषय:- राज्य योजना बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम विपत्र कोड- 26-2230011120301, 26-2230017890305 एवं 26-2230017960304 के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 5626, 5629 एवं 5631 all dated- 28-08-18 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम विपत्र कोड- 26-2230011120301, 26-2230017890305 एवं 26-2230017960304 के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 5626, 5629 एवं 5631 all dated- 28-08-18 में राशि किस विमुक्त बंधुआ मजदूर को लाभांशित करने हेतु किस पत्र के आलोक में आवंटित की गयी है का उल्लेख संभव नहीं है। इस कारण से उक्त राशि की निकासी हेतु निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

i) CFMS Order No.- 5626 dated- 28-08-18 से आवंटित की गयी राशि निम्न प्रकार से आवंटित की गयी है-

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	37-अनुग्रह अनुदान (Grace Grant) के तहत विषयशीर्ष (Object Head) 0301.37.01 अनुग्रह अनुदान(Grace Grant) से श्रम अधीक्षक जमुई पत्रांक-365 दिनांक-05.07.18 के आलोक में 02, श्रम अधीक्षक नवादा के पत्रांक-229 दिनांक-13.03.18 के आलोक में 03, एवं श्रम अधीक्षक मोतिहारी के पत्रांक-678 दिनांक-11.08.18 के आलोक में 11 विमुक्त बंधुआ मजदूर हेतु राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से
1	2	3
जमुई	02	20000
नवादा	03	30000
मोतिहारी	11	110000
योग	16	160000

CFMS Order No.- 5626 dated- 28-08-18 से आवंटित राशि रुपये ₹ 1,60,000/- (₹ एक लाख साठ हजार) मात्र ।

ii) CFMS Order No.- 5629 dated- 28-08-18 से आवंटित की गयी राशि निम्न प्रकार से आवंटित की गयी है-

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	37-अनुग्रह अनुदान (Grace Grant) के तहत विषयशीर्ष (Object Head) 0305.37.01 अनुग्रह अनुदान (Grace Grant) से श्रम अधीक्षक जमुई पत्रांक-365 दिनांक-05.07.18 के आलोक में 08, एवं श्रम अधीक्षक नवादा के पत्रांक-229 दिनांक-13.03.18 के आलोक में 14 एवं श्रम अधीक्षक रोहतास के पत्रांक-328 दिनांक-18.05.18 के आलोक में 01 एवं श्रम अधीक्षक मोतिहारी के पत्रांक-678 दिनांक-11.08.18 के आलोक में 09 विमुक्त बंधुआ मजदूर हेतु राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से
1	2	3
जमुई	08	80000
नवादा	14	140000
रोहतास	01	10000
मोतिहारी	09	90000
योग	32	320000

CFMS Order No.- 5629 dated- 28-08-18 से आवंटित राशि रुपये ₹ 3,20,000/- (₹ तीन लाख बीस हजार) मात्र ।

iii) CFMS Order No.- 5631 dated- 28-08-18 से आवंटित की गयी राशि निम्न प्रकार से आवंटित की गयी है-

जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	37-अनुग्रह अनुदान (Grace Grant) के तहत विषयशीर्ष (Object Head) 0305.37.01 अनुग्रह अनुदान (Grace Grant) से जिला पदाधिकारी, बांका पत्रांक-183 दिनांक-19.05.18 के आलोक में 02, विमुक्त बंधुआ मजदूर हेतु राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) मात्र की दर से
1	2	3
बांका	02	20000

CFMS Order No.- 5631 dated- 28-08-18 से आवंटित राशि रुपये ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार) मात्र ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3376 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त "बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजनान्तर्गत" राज्यांश की राशि ₹ 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र प्रति विमुक्त बंधुआ मजदूर की दर से भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

3. यह आवंटित राशि दिनांक-17.05.2016 से लागू Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए है।

4. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर एवं उन्ही विमुक्त बंधुआ मजदूरों को प्रदान की जाय जिन्हें इस योजना के तहत लाभांशित नहीं किया गया हो । भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय प्रतिवेदन इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
6. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
8. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

(R)
28/08/18
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक: 6/एफ1-309/18 श्र0सं0- 6294 पटना, दिनांक 28-8-18
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-1 एवं प्रशाखा-01 को उनके संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 के गै.सं.प्रे.सं-263, 211, 188 एवं 317 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-19.07.18, 13.06.18, 01.06.18 एवं 23.08.18 के आलोक में/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय प्रतिवेदन का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(R)
28/08/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।